फा. सं. 2.2(23)/2016 -सा.-II
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड
नई दिल्ली-110069

## निविदा आमंत्रण सूचना

चार (04) स्कैनट्रॉन इनसाइट 150 ओ एम आर स्कैनर के व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा (ए एम सी) के लिए मूल उपस्कर विनिर्माता (ओ एम ई) / प्राधिकृत डीलरों / वितरकों / मू.उ.विनि. के चैनल पार्टनर जिन्हें इस क्षेत्र में अनुभव है, से दो बोली प्रणाली में ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। कार्यक्षेत्र एवं तकनीकी विवरण इस दस्तावेज के अनुबंध-I एवं II में दर्शाया गया है। मैनुअल बोलियां स्वीकार नहीं की जाएगी।

निविदा दस्तावेज संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in (केवल संदर्भ के लिए) तथा सी पी पी पी पोर्टल साइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं, इसके लिए समय-अनुसूची नीचे क्रिटिकल डेटशीट में दी गई है :-

### क्रिटिकल डेटशीट

| | |
|---|---|
| सी पी पी पोर्टल पर प्रकाशित किए जाने की तारीख | 11.04.2019 |
| दस्तावेज डाउनलोड करने की प्रारंभिक तारीख | 11.04.2019 |
| दस्तावेज डाउन लोड करने की अंतिम तारीख | 03.05.2019 |
| बोली प्रस्तुतीकरण शुरू होने की तारीख | 11.04.2019 |
| ऑनलाइन निविदा को अपलोड करने की अंतिम तारीख तथा समय | 03.05.2019; 1000 Hrs. |
| स्पष्टीकरण शुरू होने की तारीख | 11.04.2019 |
| स्पष्टीकरण की अंतिम तारीख | 25.04.2019 |
| तकनीकी बोलियों को खोलने की तारीख तथा समय | 06.05.2019; 1500 Hrs. |
| जमा धरोहर राशि (ई एम डी) | 2,00,000/- रूपये |

बोलियां केवल सी पी पी पी वेबसाइट: http://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ऑनलाइन ही प्रस्तुत की जाएगी।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे " https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ई-प्रापण के लिए केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के माध्यम से बोलियों के ऑनलाइन ई-प्रस्तुतीकरण के लिए निविदाकर्ता / संविदाकर्ता को अनुदेश" में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करें।

बोली दस्तावेजों को श्वेत एवं श्याम विकल्प सहित 100 dpi के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेजों के आकार को कम करने में मदद करता है।

सामान्य निबंधन तथा शर्तें

1. बोलियों के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया

बोलियां केवल केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल (ई-प्रोक्योरमेंट) के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

निविदा निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखकर दो भागों, अर्थात तकनीकी बोली और बोली मूल्य, में प्रस्तुत की जाएगी।

- प्रस्तुत की जाने वाली बोली के सभी पृष्ठों, दस्तावेजों के विषय-वस्तु की प्रकृति का ध्यान किए बिना दस्तावेजों को अपलोड किए जाने से पहले बोलीदाता द्वारा अनिवार्यत: हस्ताक्षर किए जाएं तथा क्रमिक रूप से संख्या डाली जानी चाहिए।

- फैक्स/ ईमेल या किसी अन्य तरीके से प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

- सचिव, सं. लो. से. आ. के पक्ष में देय, डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर के रूप में 2,00,000/- रु. की जमा धरोहर राशि (ई एम डी) के मूल लिखत की हार्ड प्रति अनिवार्यत: क्रिटिकल डेट शीट में यथावर्णित ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख / समय पर या उससे पहले अवर सचिव (सामा.- II), कमरा सं. 208 ए - आ. सचि. भ., सं.लो.से.आ. को सुपुर्द की जाए।

(i) तकनीकी बोली:

बोलीदाता को अनुबंध-VIII में दर्शाई गई जांच सूची में उल्लिखित निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां, जिन पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए गए हो, तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करनी होंगी अर्थात :-

(क) कंपनी के निगमन / पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं कंपनी के संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रति।

(ख) पैन कार्ड की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रति।

(ग) जी एस टी पंजीकरण प्रमाण पत्र की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रति।

(घ) आई एस ओ प्रमाणन की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रति ।

(ड.) मूल उपस्कर विनिर्माता अर्थात मैसर्स स्कैनट्रान से प्राप्त पत्र की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रति ।

(च) वर्ष 2017-18 सहित फर्म की प्रत्येक पूर्ववर्ती तीन वर्ष की आयकर विवरणियों की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रतियां ।

(छ) वर्ष 2017-18 सहित फर्म के प्रत्येक पूर्ववर्ती तीन वर्ष के ऑडिट किए गए तुलन पत्र की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रतियां ।

(ज) फर्म के प्रत्येक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के वार्षिक कारोबार को दर्शाते हुए सनदी लेखाकार (सी.ए.) से प्राप्त प्रमाण-पत्र की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रति ।

(झ) पूर्ववर्ती 5 वर्षों के दौरान कार्य आदेशों / क्रय आदेशों की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रतियां

(ट) 2,00,000/- रू. की जमा धरोहर राशि (ई एम डी) की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रति ।

(ठ) अनुबंध-III में तकनीकी अनुपालन विवरणी तथा अनुबंध-IV, V एवं अनुबंध-VII में यथा अपेक्षित दस्तावेज / प्रमाण-पत्रों की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रति।

(ii) <u>बोली मूल्य</u>

बोली मूल्य की अनुसूची अनिवार्यत: निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जाए । बोलीदाता अनिवार्यत: बोली अनुसूची [अनुबंध-VI] के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में ही दर को प्रस्तुत करेंगे । दर को कर रहित उद्धृत किया जाना चाहिए। कर, को दरों के साथ अलग से उद्धृत किया जाना चाहिए।

2. <u>जमा धरोहर राशि</u>:

निविदा के साथ रू. 2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) की जमा धरोहर राशि अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। यह जमा धरोहर राशि दिल्ली / नई दिल्ली में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पक्ष में देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर के रूप में जमा करनी होगी, ऐसा न किए जाने पर बोली तत्काल अस्वीकार कर दी जाएगी। केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ एवं वे फर्म जो एन एस आई सी / डी जी एस एंड डी तथा अन्य किसी ऐसे संगठन, जिसे नियमों के अंतर्गत जमा धरोहर राशि प्रस्तुत करने से छूट दी गई है में पंजीकृत है, को दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जमा धरोहर राशि प्रस्तुत करने से छूट दी जाती है । अन्य बोलीदाताओं को ऊपर उल्लेख किए अनुसार निर्धारित प्रपत्र में जमा धरोहर राशि प्रस्तुत करनी अनिवार्य है।

(क) जमा धरोहर राशि बोली की वैधता अवधि के बाद 45 (पैंतालीस) दिन की अवधि तक वैध रहेगी ।

(ख) जमा धरोहर राशि स्कैन की जाएगी और निविदा प्रस्तुत करने की अवधि के भीतर ही ई-टेंडरिंग वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी तथा मूल को संघ लोक सेवा आयोग में जमा करना होगा।

(ग) असफल बोलीदाताओं की जमा धरोहर राशि निविदा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उन्हें वापस लौटा दी जाएगी । जमा धरोहर राशि पर किसी भी परिस्थिति में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।

3. <u>निष्पादन गारंटी :</u>

सफल बोलीदाताओं को अनुरक्षित किए जाने वाले उपकरणों के मूल्य के 5% की दर से निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा । निष्पादन प्रतिभूति, सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / बैंक गारंटी के रूप में आशय-पत्र जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करनी होगी । निष्पादन प्रतिभूति सभी संविदात्मक देयताओं के पूरा होने की तारीख से 90 दिन की अवधि तक वैध रहेगी । यह स्पष्ट रुप से ज्ञात होना चाहिए कि कार्यक्षेत्र के अनुसार कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में निष्पादन प्रतिभूति जब्त की जा सकती है। यह परिसमाप्त क्षति / शास्ति यदि कोई है, जो इसके निबंधन एवं शर्तों में विनिर्दिष्ट किए अनुसार लगाई जा सकती है, के अतिरिक्त होगा। निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति पर सफल बोलीदाता को जमा धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी । किसी भी परिस्थिति में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निष्पादन प्रतिभूति पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

<u>पात्रता मानदंड :</u>

4. बोलीदाता आवश्यक रूप से कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत या तो लिमिटेड कंपनी या प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में कानूनी रूप से वैध कंपनी के रूप में अस्तित्व में हो । बोलीदाता को जे वी / संघ, स्वामित्व या साझेदार के रूप में होने की अनुमति नहीं है । बोलीदाता को कानूनी वैधता के समर्थन में प्रमाण अर्थात पंजीकरण प्रमाण-पत्र / निष्पादन प्रमाणपत्र और कंपनी के संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद प्रस्तुत करना होगा ।

5. बोली मूल उपस्कर विनिर्माता (ओ ई एम) या प्राधिकृत डीलर / वितरक / मू.उ.विनि. का चैनल पार्टनर हो, जिन्हें इस क्षेत्र में अनुभव हो । इस संबंध में मूल उपस्कर विनिर्माता अर्थात मैसर्स स्क्ेनट्रॉन से प्राप्त पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

6. बोलीदाता के पास सरकारी संगठनों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / प्रतिष्ठित निजी कंपनियों के ओ एम आर स्कैनर तथा इसी प्रकार के उपकरणों के लिए अनुरक्षण सेवा मुहैया कराने का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए । इस संबंध में तकनीकी बोली के साथ पूर्ववर्ती 5 वर्षों के दौरान के कम से कम 2 कार्य आदेशों / क्रय आदेशों की प्रतियां अवश्य संलग्न की जानी चाहिए ।

7. फर्म कम से कम 5 वर्ष से अस्तित्व में होनी चाहिए । तकनीकी बोली के साथ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पंजीकरण / निगमन प्रमाण-पत्र जिसमें निगमन की तारीख को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया हो, संलग्न किया जाना चाहिए ।

8. फर्म का पूर्ववर्ती तीन वर्षों का कारोबार कम से कम 50 लाख रू. प्रतिवर्ष होना चाहिए । इस संबंध में, बोलीदाता को वर्ष 2017-2018 सहित प्रत्येक पूर्ववर्ती तीन वर्षों की लेखा परीक्षा की गई तुलन-पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी । इसके अतिरिक्त, बोलीदाता को प्रत्येक पूर्ववर्ती तीन वर्षों का वार्षिक कारोबार दर्शाते हुए सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. बोलीदाता को आई एस ओ 9001 : 2008 प्रमाणित कंपनी होनी चाहिए । तकनीकी बोली के साथ दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करना होगा ।

<u>अन्य निबंधन एवं शर्ते</u>

10. प्रस्तावित ओ एम आर स्कैनर व्यापक अनुरक्षण संविदा को जो सं.लो.से.आ. नई दिल्ली में अधिष्ठापित की गई है, के अंतर्गत कवर की जानी है । ओ एम आर स्कैनरों की अनुरक्षण सहायता साइट पर प्रदान की जानी है ।

11. ओ एम आर स्कैनरों के लिए मुहैया कराई जाने वाली अनुरक्षण सेवाएं "जैसा है जहां है" आधार पर होगी । फर्म कॉल आधार पर इंजीनियर मुहैया कराएंगे और ए एम सी अवधि के दौरान प्रयोग में लाई जाने वाली ओ एम आर शीट / एस ए एल संबंधी कार्य के दौरान वे इन ओ एम आर आर स्कैनरों के अनुरक्षण संबंधी कार्य की देखरेख करेंगे । फर्म के पास ओ एम आर स्कैनर एवं उसी प्रकार के उपकरणों के समुचित अनुभव वाला तकनीकी स्टाफ होना चाहिए । इस दस्तावेज के अनुबंध-III में दी गई तकनीकी अनुपालन रिपोर्ट जिस पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए गए हो, तकनीकी बोली के साथ संलग्न की जानी चाहिए ।

12. संविदा प्रदान किए जाने की तारीख से संविदा 3 (तीन) वर्ष के लिए वैध रहेगी जो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :-
    (i) वा. अनु. संविदा का वर्ष दर वर्ष आधार पर नवीकरण वेंडर के संतोषजनक निष्पादन के अध्यधीन होगा ।
    (ii) सं.लो.से.आ. अपने विवेकाधिकार पर एक महीने का नोटिस देकर वा.अनु. सं. को समाप्त कर सकता है ।
    (iii) सं.लो.से.आ. अपने विवेकाधिकार पर संविदा को उन्हीं निबंधन, शर्तों एवं तीसरे वर्ष के दर पर 01(एक) वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकता है ।

13. बोलीदाता मूल्य अनुसूची (अनुबंध-VI) में प्रत्येक तीन वर्ष का अलग- अलग वार्षिक अनुरक्षण प्रभार इंगित करेंगे । बोलीदाता मूल्य अनुसूची के भाग 'ख' में वर्णित 5 (पांच) मदों की दरों को भी

उद्धृत करेंगे । इन 5 भाग के अलावा अन्य सभी भाग वा. अनु. सं. के कार्यक्षेत्र में कवर किए जाएंगे । निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त न की गई बोलियों को अस्वीकृत किया जा सकता है । वे बोलीदाता जो कर के साथ दर को अलग-अलग उद्धृत नहीं करते हैं तो उन्हें अनुक्रियात्मक नहीं माना जाएगा और उनकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

14. एल-I बोलीदाता का निर्णय एन पी वी (कुल वर्तमान मूल्य) पर 10 प्रतिशत वार्षिक छूट के साथ तय किया जाएगा । एल-I फर्म के निर्णय के लिए परिकलन का विवरण मूल्य अनुसूची (अनुबंध-VI) में दिया गया है । एल-I वेंडर का चयन एन पी वी के साथ मूल्य अनुसूची के भाग 'ख' में शामिल मदों की कुल दरों के आधार पर होगा । तथापि, भुगतान वेंडर द्वारा उद्धृत की गई वर्ष-वार दर के साथ यथा लागू करों के आधार पर किया जाएगा ।

15. बोलियां तकनीकी बोलियां खोले जाने की तारीख से न्यूनतम 180 दिन की अवधि के लिए वैध रहेगी।

16. काल्पनिक, सशर्त या अपूर्ण बोलियों को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।

17. संघ लोक सेवा आयोग को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। इस संबंध में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

18. आयकरः- यथा लागू बिलों से स्रोत पर वसूली योग्य, बोलीदाताओं को अपना स्थायी आयकर खाता सं. (पैन) प्रस्तुत करनी होगी । बोलीदाताओं को अनुबंध-III के अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत भी करना होगा कि उन्हें आय / धन को छिपाने के लिए न तो दंडित किया गया और न ही दोषी करार दिया गया है ।

19. बोलीदाता को जी एस टी प्रमाणपत्र जिसमें फर्म का जी एस टी पहचान संख्या (जी एस टी आई एन) शामिल हो, प्रस्तुत करना होगा । समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार जी एस टी वास्तविक रूप में अदा करना होगा ।

20. <u>भुगतान शर्तें</u>: व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा के लिए भुगतान कार्य के सफलतापूर्वक पूरे होने और सं. लो. से. आ. के प्रयोक्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित किए जाने के बाद तिमाही आधार पर किया जाएगा । संविदाकर्ता को प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रयोक्ता शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र एवं निवारक अनुरक्षण रिपोर्ट सहित बिल प्रस्तुत करना होगा।

21. <u>जोखिम क्रय खंड</u> : यदि फर्म, बोली जमा होने और इसके विधिवत स्वीकार होने अर्थात् आदेश देने के बाद निविदा दस्तावेज़ों के निबन्धन और शर्तों के अनुपालन में विफल रहती है और / या नियत कार्यक्रम के अनुसार कार्य निष्पादित करने में असफल रहती है या किसी भी समय संविदा का

परित्याग करती है तो सं.लो.से.आ. को जमा धरोहर राशि को जब्त करने, फर्म द्वारा जमा की गई निष्पादन प्रतिभूति को भुनाने और फर्म के जोखिम और व्यय पर अन्य फर्म से कार्य कराने का अधिकार होगा। वैकल्पिक व्यवस्था और फर्म के बोली मूल्य के बीच की लागत संबंधी अन्तर की वसूली अन्य प्रासंगिक प्रभारों और सीमा शुल्क, कर, मालभाड़ा और बीमा आदि के साथ फर्म से की जाएगी। यदि संघ लोक सेवा आयोग वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से सामग्री / सेवाएं प्राप्त करने के लिए बाध्य होता है और यदि प्राप्त की जाने वाली ऐसी सामग्री / सेवाओं की लागत कम हो तो फर्म को इसका कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।

22. परिसमाप्त क्षतियां : वेंडर को पूर्णतया कार्यक्षेत्र के अनुसार और निविदा के निबंधनों और शर्तों के अनुसार कार्य निष्पादित करने हैं। ऐसा न होने पर संघ लोक सेवा आयोग अन्य किसी अधिकार अथवा उपलब्ध उपचार के प्रति दुर्भावना व्यक्त किए बिना परिसमाप्त क्षतियां के रूप में बोलीदाता से हानि के रूप में इस कार्यालय द्वारा ऐसी किसी धनराशि को जो निश्चित / निर्धारित की गई हो, वसूल कर सकते हैं। कार्य के विलंब के लिए परिसमाप्त क्षति 1% प्रति सप्ताह की दर से होगी जो उस विशेष तिमाही के कुल संविदा मूल्य का अधिकतम 10% के अध्यधीन होगा। परिसमाप्त क्षतियां नीचे दी गई खंड 23 में वर्णित शस्तियों के अतिरिक्त होगी।

23. शास्तियां : कार्यक्षेत्र (अनुबंध-I) में यथा वर्णित।

24. मध्यस्थता : संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म के बीच होने वाले किसी विवाद या मतभेद जो इस संविदा के निष्कर्ष, अर्थ तथा परिचालन या आशय या संविदा भंग होने की स्थिति में उत्पन्न हो, तो ऐसे में विवाद का निपटान मध्यस्थता तथा समाधान अधिनियम 1996 के उपबंधों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त माध्यस्थ द्वारा किया जा सकेगा और उसका निर्णय संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म दोनों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान दिल्ली होगा।

25. क्षेत्राधिकार: मध्यस्थता के अध्यधीन उपर्युक्त के अलावा इस करार के कारण कोई वाद या कार्यवाही जो दोनों पक्षों में से किसी के भी अधिकार का हनन करती हो, दिल्ली में दायर की जाएगी और उस पर केवल दिल्ली के न्यायालय में ही न्यायिक जांच होगी और अन्य किसी न्यायालय में नहीं होगी और दोनों पक्ष ऐसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने के प्रति स्वेच्छा से सहमत होंगे।

26. अपरिहार्य घटना : यथास्थिति संघ लोक सेवा आयोग अथवा बोलीदाता को संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में किसी विफलता अथवा चूक अथवा प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग लगने, बाढ़, भूकंप, तूफान आदि के कारण और नियंत्रण से बाहर के कारण जैसे, सिविल हड़ताल, तालाबन्दी, दंगे, सिविल वार आदि के कारण इसके कार्य के निष्पादन में विलंब के मामलों में ऐसी चूक, विफलता अथवा विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा और निष्पादन के अपने सम्बद्ध दायित्वों से मुक्त होंगे, बशर्ते एक पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसी घटना होने के 21 दिनों के भीतर सूचना दे देता है। कोई भी पक्षकार जब कभी अपरिहार्य घटनाओं के लिए नोटिस देता है तो उन्हें किसी सरकारी विभाग या एजेंसी या चैम्बर ऑफ कार्मस से प्रमाण-पत्र के रूप में ऐसी घटना की पुष्टि करनी होगी। पक्षकारों को उनके संबंधित दायित्वों से मुक्त किया जाएगा कि अपरिहार्य घटनाओं

से उनका निष्पादन कुछ हद तक प्रभावित हुआ है बशर्ते कि उपर्युक्त नोटिस दिया गया है और उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार अपरिहार्य घटना विद्यमान है । तथापि, यदि संविदा के बदले निष्पादन हड़ताल, तालाबंदी आदि, जो 60 दिन से अधिक है, रोक दिया जाता है तो सं.लो.से.आ. को संविदा समाप्त करने का अधिकार है।

27. सफल बोलीदाता द्वारा अनुरक्षण सेवाओं के असंतोषप्रद निष्पादन की स्थिति में सं.लो.से.आ. को यह विवेकाधिकार होगा कि वह सचिव, सं.लो.से.आ. द्वारा जैसा भी निर्णय लिया जाए एक माह का नोटिस देकर वा.अनु. संविदा को समाप्त कर दे और किसी अन्य फर्म को प्रदान कर दे या इस कार्यालय को इस संबंध में हुई हानि / क्षति के लिए बोलीदाता से ऐसी रकम की वसूली करें। इस संबंध में सचिव, सं.लो.से.आ. का निर्णय पक्षकारों के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

28. वा.अनु.सं. प्रदान किए जाने के लिए उपर्युक्त विस्तृत शर्तें हैं। यदि उन्हें वा.अनु.सं. प्रदान की जाती है तो वेंडर को अनुरक्षण करार (अनुबंध-VII पर दी गई प्रति) पर हस्ताक्षर करने होंगे।

29. सं.लो.से.आ. को संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय बिना कोई कारण बताए एक माह का नोटिस देकर एजेन्सी के साथ करार / संविदा को समाप्त करने का अधिकार है । सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

30. इस निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए कार्यालय समय के दौरान निम्नलिखित हेल्पलाइन नं. 011-23381141 पर संपर्क किया जा सकता है ।

31. निविदा सूचना संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

(आर. के. दीक्षित)
अवर सचिव (सामा.)

**अनुबंध-I**

## कार्यक्षेत्र

वेंडर निम्नलिखित निबंधन व शर्तों के आधार पर चार (04) स्कैनट्रॉन इनसाइट 150 ओएमआर स्कैनरों का अनुरक्षण करेगा :-

1. **कार्यक्षेत्र** : वेंडर, सभी ओएमआर स्कैनरों का, इनके सभी सहायक उपस्करों (एक्सेसरी) सहित, निवारक तथा उपचारात्मक अनुरक्षण करेगा। नेटवर्किंग तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का समर्थन भी एएमसी का भाग होगा। कार्यक्षेत्र अर्थात् कार्य के दायरे में निम्नलिखित मदें भी शामिल होंगी :-

(क) सुरक्षा जांच

(ख) निवारक अनुरक्षण

(ग) मरम्मत या मॉड्यूल सेक्शनों, एसेम्बलों तथा उपकरणों को बदलने के माध्यम से सामान्य संचालन तथा पुराने पड़ जाने के कारण हुई क्षति या त्रुटि का निवारण।

2. **अपटाइम** : वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि संपूर्ण कंफीग्युरेशन/उपस्करों का न्यूनतम 95 प्रतिशत 'अपटाइम' रहे। ऐसा नहीं होने पर निम्नांकित अनुच्छेद 8 में यथाउल्लिखित हर्जाना (पेनल्टी) लगाया जाएगा। हालांकि, हर्जाना लगाने से पहले संघ लोक सेवा आयोग, कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, जिसमें डाउन टाइम के विवरण का उल्लेख होगा। इसमें फर्म पर लगाए जाने वाले प्रस्तावित हर्जाने का भी विवरण प्रदान किया जाएगा। ब्रेकडाउन टाइम की गणना निम्नानुसार की जाएगी:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) | कुल मशीन घंटे (क) | = | किसी तिमाही के दौरान के कुल कार्यदिवस x 8 कार्य घंटे प्रतिदिन |
| (ख) | डाउनटाइम (परिभाषा) | = | त्रुटि को सुधारे जाने की तारीख और समय तथा त्रुटि की सूचना प्रदान करने/मशीन से संबंधित सं.लो.से.आ. के अनुरक्षण इंजीनियर द्वारा इसकी स्वीकृति दिए जाने के बीच की कुल अवधि (सभी कार्य दिवसों के दौरान आठ घंटे के आधार पर परिकलित कार्य घंटों के संदर्भ में) |
| (ग) | डाउन टाइम (ख) | = | मशीन के खराब रहने के कुल दिन X 8 कार्यघंटे प्रतिदिन |
| (घ) | अपटाइम प्रतिशतता | = | [(क-ख)/क]X100 |
| (ड.) | हर्जाने का परिकलन | = | स्कैनरों की एक तिमाही की एएमसी दर(कीमत)X तिमाही के दौरान डाउन टाइम (ख)/ संबंधित तिमाही के दौरान कुल कार्य घंटे। |

3. एएमसी में सभी स्पेयर पार्ट शामिल होंगे, जिनमें हर वह स्पेयर पार्ट भी सम्मिलित होगा, जिसे सामान्य संचालन के चलते बदलने की आवश्कता होगी। इनमें निम्नलिखित मदें शामिल नहीं होंगी, जिनकी आपूर्ति वेंडर द्वारा दर अनुसूची में उद्धृत की गई दर पर की जाएगी :- (क) रिटार्ड पैड, (ख) पिक बेल्ट, नई शैली (ग) फ्लेक्जर ऐस्सी, 0.009" हेवी, (घ) फ्लेक्जायर एस्से, 0.005" लाइट तथा (ड.) ट्रांसपोर्ट प्रिंटर रिबन।

बदले गए सभी पुर्जे समतुल्य या अधिक विनिर्देश वाले होंगे। वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि ओएमआर स्कैनरों के मरम्मत किए गए या बदले गए पुर्जे मूल निर्माता/आपूर्तिकर्ता कंपनी के हों।

3.1 यदि किसी सरकारी संपत्ति(अर्थात् मशीन/पार्ट आदि) को मरम्मत संबंधी रख-रखाव के लिए संघ लोक सेवा आयोग परिसर से बाहर ले जाने की आवश्यकता हो, तो इस संबंध में वहन/यात्रा हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

4. **निवारक अनुरक्षण** : यह वेंडर की जिम्मेदारी होगी कि प्रत्येक परीक्षा से संबंधित ओएमआर स्कैनिंग कार्य आरंभ होने से पहले वह निवारक अनुरक्षण की प्रक्रिया पूरी करे। इसमें रूटीन जांच, मशीनों की सफाई, डायग्नोसिस सॉफ्टवेयर को चलाना और ओएमआर स्कैनरों की उचित सेटिंग शामिल है। निवारक कॉल के दौरान वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि दोनों ओएमआर स्कैनर एक ही इंटेंसिटी स्तर पर सेट हों।

5. **सॉफ्टवेयर संबंधी सहयोग (सपोर्ट)** : इमेजिंग/स्कैनिंग तथा डाटा इंटरप्रिटेशन हेतु ओएमआर के मौजूदा एप्लीकेशन पैकेजों तथा प्रचालन प्रणालियों(ऑपरेटिंग सिस्टम) हेतु प्रचालनगत सहयोग प्रदान करने का दायित्व वेंडर का होगा। मौजूदा सॉफ्टवेयर/उपकरणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, इस एएमसी के दायरे में शामिल होगा। वेंडर द्वारा विकसित मौजूदा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, वेंडर द्वारा इसी एएमसी के दायरे में किया जाएगा। हालांकि, यदि आयोग को किसी नए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी तो इसकी व्यवस्था वेंडर द्वारा शुल्क के आधार पर की जाएगी। सोर्स कोड (संशोधित/नया) आयोग की संपत्ति होगा। वेंडर को, मौजूदा सॉफ्टवेयर में संशोधन या कोई नया सॉफ्टवेयर विकसित करने के बाद, सोर्स कोड (पूर्ण), सॉफ्ट प्रति के रूप में आयोग को तत्काल उपलब्ध कराना होगा।

6. **नेटवर्क सपोर्ट** : संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य कनेक्टेड हार्डवेयर के लिए प्रचालनगत सपोर्ट प्रदान करने की जिम्मेदारी वेंडर की होगी। हालांकि स्पेयर पार्ट संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

7. **इंजीनियर की सेवाएं :** आयोग का सामान्य कार्यालय समय 0930 बजे से 1800 बजे तक है। हालांकि, वेंडर द्वारा संपूर्ण स्कैनिंग प्रक्रिया के दौरान सर्विस इंजीनियर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यह इंजीनियर यह भी सुनिश्चित करेगा कि वह संघ लोक सेवा आयोग की आवश्यकतानुसार अपनी सेवाएं उपलब्ध कराए। हालांकि, कार्य की तात्कालिकता के कारण यदि कार्य दिवसों/घंटों के बाद भी इंजीनियर की सेवाओं की आवश्यकता हो तो वेंडर, आयोग पर बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के इंजीनियर की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। इंजीनियर, वेंडर के रोल पर होगा। यह इंजीनियर की जिम्मेदारी होगी कि वह, अनुरक्षण से लेकर या किसी खराबी को दूर करने तक, प्रत्येक दिन के अपने हर कार्यकलाप का लॉग तैयार करे। यह लॉग रजिस्टर आयोग के विनिर्धारित स्वरूप में तैयार किया जाएगा और यह रजिस्टर संघ लोक सेवा आयोग की तकनीकी टीम को नियमित रूप से दिखाया जाएगा।

8. **सेवाओं के विलंब के मामले में हर्जाना :** वेंडर, कंफीग्युरेशन/उपस्कर के लिए न्यूनतम 95 प्रतिशत का अपटाइम सुनिश्चित करेगा। यदि कोई खराबी उत्पन्न होती है, तो इंजीनियर तत्काल उसका पता लगाएगा और 24 घंटे के भीतर इसका निवारण करेगा। वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि ओएमआर के कार्य करने के संबंध में सभी शिकायतों को, संघ लोक सेवा आयोग की संतुष्टि के अनुसार, अधिकतक 24 घंटे की अवधि के दौरान दूर कर लिया जाए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में, तिमाही भुगतान करते समय, कार्यों के दायरे के पैरा 2 (ड.) के अंतर्गत यथाउल्लिखित हर्जाना प्रतिदिन लगाया जाएगा।

9. **स्टेटस रिपोर्ट :** वेंडर एक लॉग बुक रखेगा, जिसमें निवारक कॉल, रिपोर्ट की गई कॉल, अटेंड की गई कॉल और क्लोज की गई कॉल का विवरण दर्ज होगा और संबंधित ओएमआर प्रभारी के विधिवत् हस्ताक्षर से स्टेटस भी दर्ज करेगा।

**अनुबंध-II**

## स्कैनट्रॉन इनसाइट 150 ओएमआर इमेज स्कैनर की तकनीकी विनिर्देश

**सामान्य क्षमताएं** :-

1) आदर्श स्थिति में, 240X120 डॉट प्रति इंच के रिजॉल्यूशन में लगभग 15,000 शीट प्रतिघंटे की गति।

2) इमेज स्कैनिंग की गति, 240X240 डॉट प्रति इंच के रिजॉल्यूशन में लगभग 7,500 शीट प्रतिघंटे है।

3) 3.25" X7.0" से 9" X 12" तक के आकार के दस्तावेज मशीन को स्वीकार्य हैं।

4) इनपुट हॉपर क्षमता लगभग 750 शीट, ऑटोमैटिक दस्तावेज फीड की सुविधा सहित।

5) प्राइमरी इनपुट हॉपर क्षमता लगभग 750 शीट।

6) सेकेंडरी आउटपुट हॉपर क्षमता लगभग 250 शीट।

7) इमप्रिंटर 30 कैरेक्टर तक, गाइड एज के समांतर प्रिंटिंग की क्षमता।

8) इनबिल्ड बारकोड/लिथोकोड को रीड करने की क्षमता,

i.कोडबार, कोड39, इंटर लीव्ड 5 का 2, ईएएन, कोड 128 को रीड करने में सक्षम

ii. कोड चॉइस – ओएमआर द्वारा ऑटोमैटिक डिस्क्रिमिनेशन

iii. बारकोड रीडर का रिजॉल्यूशन – 0.15 मी.मी.

iv. प्रति कॉलम बार कोडों की अधिकतम संख्या – 20 बार कोड।

9) रिफ्लेक्टिव रीड प्रणाली का इस्तेमाल कर सेल्फ कैलीब्रेटिंग रीड हेड की क्षमता। पेंसिल और पेन मार्क को रीड करने की क्षमता।

10) 0.166 इंच से 0.22 इंच का मार्क रिजॉल्यूशन ग्रिड।

11) रीयल टाइम एकाधिक शीट मोटाई डिटेक्शन।

12) बहुविकल्पीय उत्तरों, बार कोड लेबलों और मशीन प्रिंटर कैरेक्टरों, सभी को रीयल टाइम में इंटरप्रेट करने की क्षमता।

13) ओएमआर सहित एकाधिक प्रकार के डाटा, हैंड तथा मशीन प्रिंटेड कैरेक्टर और बार कोड/लिथो कोड वाले दस्तावेजों को इंटरप्रेट करने और एक आउटपुट रिकार्ड जनरेट करने की क्षमता।

14) की-फ्रॉम-इमेज डाटा एंट्री ग्रेस्केल इमेजों(जैसे फोटोग्राफ) हेतु पूर्ण तथा आंशिक पेज बाइटोन इमेज कैप्चर करने की क्षमता।

15) आर्काइव इमेजों के लिए ऑटोमैटिक तौर पर इंडेक्स वैल्यू जनरेट करने की क्षमता।

16) प्रविष्ट डाटा की मौजूदगी और गैर-मौजूदगी का रीयल टाइम में निर्धारण और डाटा की मौजूदगी/गैर-मौजूदगी के आधार पर, प्रिंटिंग तथा छंटाई जैसे कंडीशनल स्कैनिंग कार्य की सुविधा।

**अनुबंध-III**

## ओएमआर-सह-इमेज स्कैनर के संबंध में तकनीकी अनुपालन विवरणी

| क्रम सं. | तकनीकी विवरण | अनुपालन हां/नहीं | पृष्ठ सं. | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कृपया निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के कार्य के दायरे एवं अन्य निबंधन एवं शर्तों के संबंध में बोलीदाता द्वारा की गई सुपुर्दगी की स्वीकार्यता एवं समय की पुष्टि करें। | | | |
| 2. | बोलीदाता ने नेटवर्क घटक के बैक-टु-बैक सपोर्ट के लिए मेस. स्कैनट्रॉन से मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) संबंधी विधिवत् हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र मुहैया कराया है। | | | |
| 3. | कृपया पुष्टि करें कि फर्म, अनुरक्षण के प्रयोजनार्थ आईएसओ 9001:2008 आईएसओ प्रमाणित है। | | | |
| 4. | सर्विस इंजीनियर का नाम तथा उसका विस्तृत जीवन-वृत्त। | | | |

**अनुबंध –IV**

**इनसाइट 150 ओएमआर स्कैनर के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) के लिए बोली आमंत्रण**

आपके दिनांक ..... की निविदा आमंत्रण सूचना के संबंध में हमने ..... (फर्म का नाम एवं पता) स्कैनट्रॉन इनसाइट 150 ओएमआर स्कैनर के लिए एएमसी हेतु तकनीकी एवं वित्तीय बोली प्रस्तुत की है। निविदा आमंत्रण सूचना के अंतर्गत यथापेक्षित जानकारी, हम एतदद्वारा निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं :-

1. कि निविदा के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।
2. कि हम एनआईटी में विनिर्दिष्ट कार्यक्षेत्र को पूरी तरह समझते हैं और हमारी बोली पूर्णत: कार्यक्षेत्र के अनुसार है।
3. कि यदि यह संविदा हमें प्रदान की जाती है, तो हम अनुबंध-VII में शामिल एएमसी समझौते के निबंधन और शर्तों के अनुसार, अनुरक्षण समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं।
4. कि फर्म न्यूनतम पांच वर्षों से अस्तित्व में है और विगत 3 वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसका न्यूनतम कारोबार 50 लाख रुपए से अधिक है।
5. फर्म के पास कार्यक्षेत्र में यथानिर्दिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता है और एएमसी की अवधि के दौरान संघ लोक सेवा आयोग के ओएमआर स्कैनरों के अनुरक्षण के लिए फर्म द्वारा कॉल आधार पर सर्विस इंजीनियर उपलब्ध कराया जाएगा।
6. कि ओएमआर स्कैनरों के पुर्जों की मरम्मत में इस्तेमाल किए जाने वाले या इनके बदले लगाए जाने वाले पुर्जे आदि, मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) के होंगे।
7. कि मुझे/हमें तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आय/धन को छिपाने के लिए दंडित नहीं किया गया है और न ही दोषी पाया गया है ।
8. कि मुझे/हमें किसी सरकारी संगठन द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
फर्म / बोलीदाता का नाम और पता

अनुबंध - V

**घोषणा**

मैं.....सुपुत्र / सुपुत्री श्री

.....

एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरा कोई भी संबंधी संघ लोक सेवा आयोग (सं.लो.से.आ.) नई दिल्ली में कार्यरत नहीं है। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत है तो सं.लो.से.आ. को मुझे कोई पूर्व सूचना दिए बिना उचित समझी जाने वाली कोई भी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांकः .....  (फर्म की मुहर सहित बोलीदाता के दिनांक सहित हस्ताक्षर)

अनुबंध - VI

## मूल्य अनुसूची

**भाग-'क'**

| क्रम सं. | वार्षिक अनुरक्षण संविदा के दायरे में आने वाले विवरण / उपकरण | मात्रा | प्रथम वर्ष (वर्ष 1) (कर शामिल नहीं) के लिए दर (रू.में) | द्वितीय वर्ष (वर्ष-2) (कर शामिल नहीं) के लिए दर (रू. में) | तृतीय वर्ष (वर्ष 3) (कर शामिल नहीं) के लिए दर (रू में) | निविदा की तारीख को लागू कर (प्रतिशत में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | स्कैनट्रान इनसाइट 150 ओएमआर स्कैनर | 4 | | | | | |

**भाग-'ख'**

| क्रम सं | आवश्यकता पड़ने पर वेंडर द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुएँ | प्रति यूनिट दर (रू में) | निविदा की तारीख को लागू कर (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|
| 1 | रिटार्ड पैड्ज | | |
| 2 | पिक बेल्ट, न्यू स्टाइल | | |
| 3 | फ्लेक्सर एसिसरी 0.009" हेवि | | |
| 4 | फ्लेक्सर एसिसरी 0.005" लाइट | | |
| 5 | ट्रांसपोर्ट प्रिंटर रिबन | | |
| | कुल | | |

**नोट** :

1. प्रथम वर्ष की शुरूआत संविदा प्रदान किए जाने की तारीख से होगी ।
2. दरें सिर्फ भारतीय रूपये में उद्धृत की जाएंगी। अन्य मुद्रा में उद्धृत की गई दरों पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. भाग-ख के अंतर्गत सूचीबद्ध मदों की दरें समूची संविदा अवधि के दौरान बनी रहेंगी। आवश्यकता अनुसार इन वस्तुओं का ऑर्डर दिया जाएगा। ये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑर्डर करने के लिए वैकल्पिक हैं लेकिन उद्धृत करने के लिए अनिवार्य हैं और इन्हें L-1 मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा।

4. एन पी वी (कुल वर्तमान मूल्य) की गणना 10% वार्षिक बट्टे की दर पर की जाएगी । एल-1 फर्म का फैसला लेने के लिए गणना का विवरण निम्नानुसार है :-

एन पी वी = {वाई1+वाई 2 / (1+ 0.1)+ वाई 3 / (1+ 0.1)$^2$}

[एन पी वी= कुल वर्तमान मूल्य; वाई 1= प्रथम वर्ष के लिए उद्धृत की गई दर; वाई 2=द्वितीय वर्ष के लिए उद्धृत की गई दर तथा वाई 3=तृतीय वर्ष के लिए उद्धृत की गई दर]

एन पी वी का उदाहरण:

(i) यदि वाई 1 = 150, वाई 2= 200 तथा वाई 3 = 240, तब एन पी वी की गणना निम्नानुसार होगी :-

एन पी वी = 150+ (200/1.1) + (240/1.21)

= 150+ 181.82 + 198.35

= 530.17

इस प्रकार, एन पी वी 530. 17 रूपए है ।

(ii) यदि वाई 1 = 300, वाई 2= 250 तथा वाई 3 = 200, तब एन पी वी की गणना निम्नानुसार होगी :-

एन पी वी = 300+(250/1.1) + (200/1.21)

= 300 + 227.27 + 165.29

= 692.56

अत: एन पी वी 692. 56 रूपए है ।

5. एल-1 वेंडर का चयन एन पी वी तथा भाग-'ख' में दी गई मदों के लिए कुल दरों के आधार पर किया जाएगा । तथापि, वेंडर द्वारा उद्धृत वर्षवार दर तथा लागू करों के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

अनुबंध - VII

## मसौदा करार

एक ओर संघ लोक सेवा आयोग जिसका कार्यालय धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली - 110069 में स्थित है (इसके बाद "संलोसेआ" कहा गया है) और दूसरी ओर मैसर्स _____, जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है, (इसके बाद मैसर्स ..... कहा गया है, इस अभिव्यक्ति के अर्थ में, जब तक संदर्भ या अर्थ में विरूद्ध न हो, में उसके उत्तराधिकारियों और वारिसों को शामिल समझा जाएगा) के बीच ....., 2016 को नई दिल्ली में यह अनुरक्षण करार किया गया।

और जबकि मैसर्स ..... ने इसमें नीचे निर्धारित तथा एनआईटी में उल्लिखत निबंधन एवं शर्तों और शुल्कों के अनुसार रखरखाव का काम करने पर सहमति व्यक्त की है: -

यह करार अब निम्नलिखित रूप में साक्षी है:-

**निबंधन और शर्तें**

मैसर्स ..... निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों पर 4 (चार) इनसाइट 150 ओएमआर स्कैनरों का रखरखाव करेंगे :-

1. **कार्यक्षेत्र :** मैसर्स ..... ओएमआर स्कैनरों का तथा उनके सभी एसेसरीज के निवारक और सुधारात्मक रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा तथा नेटवर्किंग और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का परिचालन सपोर्ट, एएमसी का भाग होगा। कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित मदें भी सम्मिलित होंगी:-

   (क) सुरक्षा जांच

   (ख) निवारक रखरखाव

   (ग) सामान्य परिचालन, तथा पुराना होने के कारण होने वाली क्षति या दोष को मरम्मत या मॉड्यूल्स सेक्शन के प्रतिस्थापन, एसेंबल या कंपोनेंट बदल कर उनमें सुधार करना ।

2. **अपटाइम:** मैसर्स ..... पूर्ण कॉन्फिगरेशन/उपकरणों का न्यूनतम 95 प्रतिशत अपटाइम सुनिश्चित करेंगे, जिसमें विफल रहने पर खंड 8 में उल्लिखत शास्ति लगाई जाएगी । हालांकि, शास्ति लगाने से पहले संघ लोक सेवा आयोग कारण बताओ नोटिस जारी करेगा जिसमें डाउन टाइम के ब्यौरे का उल्लेख किया जाएगा। इसमें मैसर्स ..... पर लगाए जाने के लिए प्रस्तावित शास्ति भी सम्मिलित होगी। ब्रेकडाउन टाइम इस प्रकार निकाला जाएगा :-

(क) कुल मशीन घंटे (ए) = एक तिमाही में कार्य दिवसों की संख्या x 8 कार्य घंटे प्रतिदिन

डाउन टाइम (परिभाषा) = तारीख व समय जब मशीन के लिए संघ लोक सेवा आयोग के रखरखाव इंजीनियर द्वारा फॉल्ट की सूचना/स्वीकृति दी गई और तारीख व समय जब फॉल्ट को ठीक किया गया, के बीच अंतराल (सभी कार्य दिवसों पर आठ घंटों की गणना के अनुसार कार्य घंटों के संदर्भ में)

(ख) डाउन टाइम (बी) = ब्रेक डाउन दिनों की संख्या x 8 कार्य घंटे प्रतिदिन

(ग) प्रतिशत अपटाइम = [(ए-बी)/ए] x 100

(घ) शास्ति की गणना = स्कैनरों के लिए एक तिमाही के लिए एएमसी की दर(लागत) x तिमाही के दौरान डाउन टाइम (बी)/संबंधित तिमाही में कुल कार्य घंटे

3. एएमसी में सभी अतिरिक्त पुर्जे शामिल होंगे, जिसमें किसी सामान्य टूट-फूट के कारण बदला जाने वाला कोई अतिरिक्त पुर्जा शामिल होगा, सिवाय निम्नलिखित वस्तुओं के जिनकी आपूर्ति मैसर्स ..... द्वारा मूल्य अनुसूची में उनके द्वारा उद्धृत दर पर की जाएगी – (क) रिटार्ड पैड, (ख) पिक बेल्ट, नई स्टाइल, (ग) फ्लेक्सर ऐसी, 0.009' हैवी (घ) फ्लेक्सर ऐसी, 0.005' लाइट और (ड.) ट्रांसपोर्ट प्रिंटर रिबन। बदले जाने वाले पाट्र्स समकक्ष या उच्च क्षमता के होंगे। मैसर्स ..... पुष्टि करेंगे कि ओएमआर स्कैनरों के पाट्र्स की मरम्मत/रिप्लेसमेंट मूल उपकरण विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता के होंगे। मैसर्स ..... प्रमुख वस्तुओं के लिए पर्याप्त रिजर्व स्पेयर पाट्र्स (आरएसपी) रखेंगे ।

3.1 सरकारी संपत्ति (अर्थात मशीन/पाट्र्स आदि) के संबंध में परिवहन/ढुलाई के कारण होने वाले किसी अतिरिक्त व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा यदि उन्हें मरम्मत रखरखाव के लिए संघ लोक सेवा आयोग परिसर से बाहर ले जाने की आवश्यकता हो।

4. निवारक रखरखाव: मैसर्स .....हर परीक्षा का ओएमआर स्कैनिंग कार्य शुरू करने से पहले निवारक रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार होंगे जिसमें नियमित जांच, मशीनों की सफाई, निदान सॉफ्टवेयर चलाना और ओएमआर स्कैनरों की उपयुक्त सेटिंग शामिल होगी। निवारक कॉल के दौरान विक्रेता सुनिश्चित करेगा कि दोनों ओएमआर स्कैनर एक ही तीव्रता स्तर पर सेट हों।

5. **सॉफ्टवेयर सपोर्ट**: मौजूदा एप्लीकेशन पैकेजों के लिए परिचालन सहायता प्रदान करने और इमेजिंग/स्कैनिंग और डेटा तैयार करने के लिए ओएमआर के साथ स्थापित प्रचालन प्रणाली के लिए मैसर्स _____ जिम्मेदार होगें । मौजूदा सॉफ्टवेयर / उपकरणों में कोई भी परिवर्तन इसी एएमसी के दायरे में शामिल किया जाएगा। विक्रेता द्वारा विकसित मौजूदा एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर में कोई भी परिवर्तन उनके द्वारा ही किया जाएगा और वह इसी एएमसी के दायरे में शामिल होगा। तथापि, यदि आयोग को नए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, तो यह प्रभार के आधार पर वेंडर द्वारा किया जाएगा। स्रोत कोड (संशोधित/नया) आयोग की संपत्ति होगी और वेंडर को मौजूदा सॉफ्टवेयर में संशोधन करने अथवा नया सॉफ्टवेयर विकासित करने के तुरंत बाद स्रोत कोड (पूर्ण) की सॉफ्ट कॉपी आयोग को प्रदान करनी होगी ।

6. **नेटवर्क सपोर्ट**: मैसर्स _____ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कनेक्ट, प्रदान किए गए अन्य हार्डवेयर पर परिचालनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे । तथापि, स्पेयर पार्ट्स यूपीएससी द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

7. **अभियंता की सेवाएं**: आयोग का सामान्य कार्य समय 0930 बजे से से 1800 बजे तक है। तथापि, मैसर्स _____ पूरी स्कैनिंग प्रक्रिया के दौरान सेवा इंजीनियर प्रदान करेंगे । संघ लोक सेवा आयोग को जब भी अपेक्षित हो इंजीनियर अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। हालांकि, काम की आकस्मिकता के कारण, यदि कार्य दिवसों/घंटों के बाद और गैर-कार्य दिवसों को इंजीनियर की सेवाएं अपेक्षित है, तो वेंडर बिना किसी अतिरिक्त लागत के संघ लोक सेवा के लिए इंजीनियर की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। इंजीनियर वेंडर के रोल पर होगा। इंजीनियर रखरखाव के दौरान अथवा समस्याओं के निराकरण के लिए उसके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य, के लिए लॉग तैयार करने के लिए जिम्मेवार होगा । इस तरह के लॉग रजिस्टर को आयोग द्वारा निर्धारित किए अनुसार तैयार किया जाएगा और इसे समय-समय पर यूपीएससी की तकनीकी टीम को दिखाया जाएगा।

8. **सेवाओं में देरी के लिए जुर्माना**: मैसर्स _____ विन्यास/उपकरण के लिए न्यूनतम 95 प्रतिशत अपटाईम सुनिश्चित करेगा। यदि कोई विफलता होती है, तो इंजीनियर तुरंत दोष की पहचान करेगा और उसे 24 घंटों के भीतर इस दोष को ठीक करना होगा । विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि ओएमआर के काम करने से संबंधित सभी शिकायतों को संघ लोक सेवा आयोग की संतुष्टि के अनुसार और अधिकतम 24 घंटे के भीतर उसमें सुधार करना होगा, ऐसा न होने पर त्रैमासिक भुगतान करने के समय इस दस्तावेज के पैरा 2 (ई) में यथाउल्लिखित दर से प्रति दिन शास्ति लगाई जाएगी ।

9. **स्थिति रिपोर्ट**: मैसर्स _____ संबंधित ओएमआर प्रभारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्थिति संबंधी रिपोर्ट एटेंड और पूरी की गई कॉल सहित निवारक कॉल की पूरी लॉग बुक बनाएगा।

10. **संविदा की अवधि**: यह संविदा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक-_____ 3 (तीन) वर्ष के लिए वैध होगी : -

(i) विक्रेता द्वारा संतोषजनक कार्य निष्पादन किए जाने पर एएमसी को वर्ष-दर-वर्ष नवीकृत किया जाएगा।
(ii) संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से, एक महीने का नोटिस देकर एएमसी को समाप्त कर सकता है।
(iii) संघ लोक सेवा आयोग, अपने विवेकाधिकार से, समान निबंधन, शर्तों और तीसरे वर्ष की दर पर 1 (एक) वर्ष तक की आगे अवधि के लिए संविदा का विस्तार कर सकता है।

**11. अप्रत्याशित घटना:** मैसर्स _____ के युक्तियुक्त नियंत्रण से बाहर के कारणों की वजह से कारण कार्य निष्पादन करने में किसी भी विफलता के लिए मैसर्स_____ जिम्मेदार नहीं होगा, इनमें प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, दंगें, व्यापार प्रतिरोध, हड़ताल, तालाबंदी किसी सरकारी प्राधिकरण के कृत्य, संविधियों के तहत लाईसेंस प्राप्त करने में विलंब अथवा आवेदनों के निरस्तीकरण, पावर फेल होना, दुर्घटना अथवा व्यवधान अथवा मैसर्स _____ के किसी दुर्भावनापूर्ण कार्य के कारण होने वाले प्रचालन, बाढ़ अथवा आग लगने की घटनाएं शामिल हैं परंतु नियंत्रण से बाहर के कारण इन घटनाओं तक ही सीमित नहीं है।

12. **समापन** : मैसर्स _____ द्वारा रखरखाव सेवाओं के संतोषजनक निष्पादन न करने की स्थिति में, संघ लोक सेवा आयोग को एक महीने का नोटिस देकर एएमसी को समाप्त करने और किसी अन्य फर्म को संविदा देने और मैसर्स_____ से वह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, जो सचिव, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के नुकसान/क्षति के संबंध में तय की जाए । इस संबंध में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम और पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

13. **मध्यस्थता**: इस संविदा के निष्कर्ष, अर्थ और प्रचालन अथवा लागू होने से संबंधित अथवा पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद अथवा मतभेद या उसके उल्लंघन का निपटान मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा और इसके अनुसरण में दिया गया आदेश पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान दिल्ली होगा।

14. **रखरखाव शुल्क और भुगतान की शर्तें:** स्पेयर पार्ट्स सहित चार ओएमआर स्कैनर के रखरखाव के लिए लागू सेवा कर सहित शुल्क _____ / - (रूपए _____ मात्र) है।

15. गलत हैंडलिंग या ख़राब संचालन (Malfunctioning) के कारण हुई क्षति के कारण सिस्टम डाउन टाइम होने से उत्पन्न विवाद की स्थिति में मामले को निर्णय के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार को भेजा जाएगा। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

**16. भुगतान की शर्तें:** चार ओएमआर स्कैनर के रखरखाव के लिए अनुबंध शुल्क का भुगतान प्रत्येक पूर्ण तिमाही की समाप्ति पर तिमाही आधार पर चार किस्तों में किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, मैसर्स _____ प्रत्येक तिमाही के पूरा होने के बाद संबंधित तिमाही के दौरान ओएमआर स्कैनर के संतोषजनक प्रदर्शन के बारे में उपयोगकर्ता शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र के साथ अपने दावे का पूर्व-प्राप्ति बिल प्रस्तुत करेगा। यूपीएससी बिल की प्राप्ति से 15 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान करेगा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

**17. कार्य निष्पादन प्रतिभूति :** मैसर्स_____, एएमसी मिलने के 15 दिन के भीतर _____ / - (रुपए _____ केवल) रुपये की राशि की निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करेगें जो उपकरणों के मूल्य के 5% के बराबर होगा जिसे सचिव संघ लोक सेवा आयोग के पक्ष में जारी डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर / बैंक गारंटी के रूप में रखा जाएगा । निष्पादन प्रतिभूत ए एम सी अवधि की समाप्ति तक वैध रहेगी।

इसके साक्ष्य में पक्षकारों ने उपरोक्तानुसार _____ दिन, _____माह और _____वर्ष को करार निष्पादित किया।

| | |
|---|---|
| यू पी एस सी की ओर से | मैसर्स की ओर से _____ |
| (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) | (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ) |
| नाम:_____ | नाम: _____ |
| पदनाम: _____ | पदनाम: _____ |
| हस्ताक्षर: _____ | हस्ताक्षर: _____ |
| गवाह: | गवाह: |

**अनुबंध-VIII**

## जांच सूची

| क्रम सं. | विवरण | हां/नहीं | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|---|
| 1. | क्या जमा धरोहर राशि की हस्ताक्षरित एवं स्कैन प्रति संलग्न है ? | | |
| 2. | क्या आई एस ओ प्रमाणन की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड प्रति संलग्न है ? | | |
| 3. | क्या ओ ई एम अर्थात स्कैन्ट्रौन पत्र से प्राप्त पत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड प्रति संलग्न है ? | | |
| 4. | क्या कंपनी के पंजीकरण/निगमन प्रमाणपत्र तथा संगम ज्ञापन एवं संगम के अनुच्छेद की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड प्रति संलग्न है ? | | |
| 5. | क्या वर्ष 2017-18 सहित विगत वर्षों की प्रत्येक 3 वर्ष की आयकर विवरणी की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड प्रति संलग्न है ? | | |
| 6. | क्या वर्ष 2017-18 सहित विगत वर्षों की प्रत्येक 3 वर्ष के लिए फर्म की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड प्रति संलग्न है? | | |
| 7. | क्या पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए फर्म के वार्षिक टर्न ओवर को दर्शाते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड प्रति संलग्न है? | | |
| 8. | क्या पूर्ववर्ती 5 वर्षों के दौरान कार्य आदेश / क्रय आदेश की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड प्रति संलग्न है? | | |
| 9. | क्या पैन कार्ड की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड प्रति संलग्न है? | | |
| 10. | क्या जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड प्रति संलग्न है? | | |
| 11. | क्या अनुबंध-III में दी गई तकनीकी अनुपालना विवरणी की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड प्रति संलग्न है? | | |
| 12. | क्या अनुबंध-IV में दिए गए प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड प्रति संलग्न है? | | |
| 13. | क्या अनुबंध-V में दी गई घोषणा की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड प्रति संलग्न है? | | |
| 14. | क्या अनुबंध-VII में दिए गए अनुसार एएमसी करार की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति संलग्न है? | | |

(प्राधिकृत फर्म का नाम एवं पता)

दूरभाष सं. /मोबाइल सं./ फैक्स

## ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के अनुदेश

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का प्रयोग कर सी पी पी पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से बोलियों की साफ्ट प्रतियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है। नीचे दिए गए अनुदेशों का तात्पर्य सीपीपी पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए, अपेक्षानुसार अपनी बोलियां तैयार करने तथा सीपीपी पोर्टल पर उनकी बोलियों को ऑन लाइन प्रस्तुत करने में बोलीदाताओं की सहायता करना है।

सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए और अधिक उपयोगी जानकारी https://eprocure.gov.in/eprocure/app से प्राप्त की जा सकती है।

**पंजीकरण:**

(1) बोलीदाताओं को [केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के ई-प्रोक्यूरमेंट माड्यूल (यू आर एल: https://eprocure.gov.in/eprocure/app) (सीपीपी पोर्टल) पर **"ऑनलाइन बोलीदाता इनरॉलमेंट"** लिंक पर क्लिक करके जो नि:शुल्क है] पर इनरॉल करना अपेक्षित है ।

(2) इनरॉलमेंट प्रक्रिया के भाग के रूप में बोलीदाताओं को यूनिक यूजरनेम का चयन तथा अपने अकाउन्ट के लिए पासवर्ड असाईन करना अपेक्षित होगा ।

(3) बोलीदाताओं को पंजीकरण प्रक्रिया के रूप में अपने वैध ई-मेल आई.डी. तथा मोबाइल नं. को रजिस्टर करने की सलाह दी जाती है । इसे सीपीपी पोर्टल से किसी भी प्रकार के संप्रमण के लिए प्रयोग में लाया जाएगा ।

(4) इनरॉलमेंट हो जाने पर बोलीदाताओं को अपने प्रोफाइल सहित सी सी ए भारत मान्यताप्राप्त (अर्थात सी फी / टी सी एस / एन कोड / ई-मुद्रा आदि) किसी प्रमाणिक प्राधिकरण द्वारा जारी अपने वैद्य डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (साइनिंग की यूजेज सहित श्रेणी-II या श्रेणी-III प्रमाण पत्र) ।

(5) बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी पंजीकृत किया जाए । कृपया नोट कर लें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि उन्होंने अपना डी एस सी किसी अन्य व्यक्ति को उधार नहीं दिया है, जो इसका दुरूपयोग कर सकता है ।

(6) बोलीदाता उसके बाद सुरक्षित लॉग इन के माध्यम से अपना यूजर आई डी / पासवर्ड और डीएससी / ई-टोकन का पासवर्ड प्रविष्ट कर साइट पर लॉग इन करें ।

**निविदा दस्तावेज़ के लिए सर्च करना :**

(1) सीपीपी पोर्टल पर विभिन्न सर्च विकल्प मौजूद है, कई पैरामीटरों द्वारा सक्रिय निविदाओं की खोज हेतु बोलीदाताओं को सुविधा प्रदान की गई है । इन पैरामीटरों में निविदा आई डी, संगठन का नाम, अवस्थिति, तारीख, मूल्य आदि शामिल किए जा सकते थे । निविदा की एडवान्सड सर्च के लिए भी विकल्प मौजूद है जिसमें बोलीदाता सर्च पैरामीटरों की संख्या जैसे संगठन का नाम, संविदा का फार्म, अवस्थिति, तारीख, अन्य कीवर्ड आदि सी पी पी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की सर्च के लिए संयोजित कर सकते है ।

(2) एक बार अपनी रूचि की निविदा का चयन करने के बाद बोलीदाता अपेक्षित दस्तावेज़ निविदा / कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं । ये निविदाएं संबंधित'मेरी निविदा' फोल्डर में ले जाई जा सकती हैं । इससे सीपीपी पोर्टल बोलीदाताओं को एस एम एस ई-मेल के माध्यम से निविदा दस्तावेज़ के संबंध में जारी होने वाले शुद्धि पत्र की जानकारी दे सकेगा ।

(3) बोलीदाता को प्रत्येक निविदा के लिए दिए गए यूनिक निविदा आई डी का एक नोट बना लेना चाहिए यदि वे हैल्प डैस्क से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण मदद चाहते /हैं ।

**बोली तैयार करना:**

(1) बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले निविदा दस्तावेज़ में प्रकाशित शुद्धिपत्र को ध्यान में रख लेना चाहिए ।

(2) कृपया निविदा विज्ञापन तथा निविदा दस्तावेज़ों को सावधानीपूर्वक अच्छी तरह से पढ़ लें और यह समझ ले कि बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ अपेक्षित है । कृपया लिफाफों की संख्या, जिनमें बोली दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, प्रत्येक दस्तावेज़ जिन्हें प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, का नाम तथा विषय वस्तु सहित दस्तावेज़ों की संख्या नोट कर लें । इनसे होने वाले किसी भी विचलन के कारण बोली अस्वीकृत की जा सकती है ।

(3) बोलीदाता को अग्रिम रूप में बोली दस्तावेज़ अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बोली दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और साधारणतया ये दस्तावेज़ पी डी एफ / एक्स एल एस / डी डब्ल्यू एफ / आर ए आर / जे पी पी फार्मेट में होने चाहिए । बोली दस्तावेजों को श्वेत तथा श्याम विकल्प सहित 100 डी पी आई के साथ स्कैन किया जाएगा जो स्कैन किए गए दस्तावेजों के आकर को छोटा करने में मदद करता है ।

(4) मानक दस्तावेज़ों के अपलोड करने में लगने वाले अपेक्षित समय एवं प्रयास को कम करने के लिए, जिसे प्रत्येक बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, ऐसे मानक दस्तावेज़ों (उदाहरणार्थ पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध है । ऐसे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए बोलीदाता "माई स्पेस" क्षेत्र या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़" क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो उनके पास उपलब्ध है । बोली प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेज़ों को सीधे "माई स्पेस" पर प्रस्तुत कर सकते हैं और इन्हें बारत करने की कता नहीं है । यह बोली प्रस्तुबार अपलोड करने की आवश्य-प्रक्रिया में लगने वाले समय को अपेक्षित रूप से कम करेगा ।

**बोली प्रस्तुत करना :**

(1) बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम रूप में साईट पर लॉगइन करना चाहिए ताकि वे बोली को समय पर अर्थात् बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख को या उससे पहले अपलोड कर सके। अन्य मुद्दों के कारण किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होंगे।

(2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में इंगित किए अनुसार अपेक्षित दस्तावेज़ों को एक-एक कर अपलोड कर डिजिटल हस्ताक्षर करने हैं।

(3) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में यथा लागू निविदा शुल्क हर जमा धरोहर राशि का भुगतान करने के लिए "आफलाईन" भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और उपकरण का विवरण प्रविष्ट करना होगा।

(4) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार जमा धरोहर राशि तैयार करनी चाहिए। मूल दस्तावेज़ डाक / कुरियर द्वारा संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख या निविदा दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख या निविदा दस्तावेज में यथावर्णित तारीख तक भेजा जाना चाहिए । डिमांड ड्राफ्ट / कोई अन्य स्वीकृत माध्यम या व्यक्तिगत रूप से भेजे गए विवरणों का मिलान स्कैन की गई प्रति में उपलब्ध विवरण तथा प्रस्तुत करने के दौरान प्रविष्ट किए गए डेटा से कर लेना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(5) बोलीदाताओं से अनुरोध है कि उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि उन्होंने अनिवार्य रूप से प्रदान किए गए फार्मेट में ही अपनी वित्तीय बोलियों को जमा किया है तथा कोई अन्य फार्मेट स्वीकार्य नहीं है । यदि बोली मूल्य निविदा दस्तावेज़ के साथ मानक बीओक्यू फार्मेट में नहीं दिया गया है, तो उसे डाउनलोड करने और सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाना चाहिए। बोलीदाताओं को बीओक्यू फाइल डाउनलोड करना अपेक्षित है। इसे खोलें और अपने वित्तीय उद्धरण तथा अन्य विवरणियों (जैसे बोलीदाता का नाम) सहित सफेद रंग की (असुरक्षित) सेल्स को पूरा करें । किसी अन्य सेल्स को परिवर्तित न करें । एक बार विवरणियों के पूरा हो जाने पर बोलीदाता को इसे सेव कर लेना चाहिए और फाइल के नाम को परिवर्तित किए बिना इसे ऑनलाइन प्रसतुत कर दें । यदि बीओक्यू फाइल बोलीदाता द्वारा अपेक्षित की गई पाई जाती है तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

(6) सर्वरटाइम (जिसे बोलीदाता के डैश बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है) को बोलीदाता भी द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, बोलियों को खोलना आदि के संदर्भ के लिए मानक समय माना जाएगा । बोलीदाताओं को बोली के प्रस्तुतीकरण के दौरान इस समय का अनुपालन करना चाहिए।

(7) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ इन्क्रिपशन तकनीक पी.के. आई. का प्रयोग करते हुए इन्क्रिप्टेड होंगे ताकि डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके । बोली खोले

जाने के समय तक प्रविष्ट किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इन्क्रिपशन प्रौद्योगिकी के 128 बिट सुरक्षित सॉकेट लेयर का प्रयोग करते हुए बोली की गोपनीयता को अनुरक्षित किया गया है। सेवेदनशील क्षेत्रों का डेटा स्टोरेज इन्क्रिपशन किया गया है। प्रणाली जनित सममितकी का उपयोग करते हुए सर्वर पर अपलोड किया गया कोई बोली दस्तावेजों सममित इन्क्रिपशन के अध्यधीन है। इसके अतिरिक्त यह कुंजी एसमैट्रिक इन्क्रिपशन का प्रयोग कर क्रेता / बोली खोलने वाली सार्वजनिक कुंजी के अध्यधीन है। समग्र रूप से अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज प्राधिकृत बोली खोलने वाले द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पठनीय होंगे।

(8) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने वाले अधिकारियों द्वारा निविदा को खोले जाने के बाद ही पठनीय होंगे।

(9) बोली का सफल तथा समयबद्ध तरीके से प्रस्तुतीकरण (अर्थात पोर्टल में "फ्रिज बिड सबमिशन" को क्लिक करने के बाद) होने पर पोर्टल सफल बोली प्रस्तुतीकरण संदेश देगा और बोली सं. और सभी संगत विवरण सहित बोली को प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय के साथ बोली समरी प्रदर्शित हो जाएगी।

(10) बोली समरी को मुद्रित किया जाना अपेक्षित है और बोली प्रस्तुतीकरण की पावती के रूप में इसे रख लें। इस पावती को बोली के खुलने की किसी भी बैठक के लिए एन्ट्री पास के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है।

11. **बोलीदाताओं को सहायता**

(i) निविदा दस्तावेज़ और उनमें निहित निबंधन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में उल्लिखित संगत अधिकारी को संबोधित पत्र भेज कर जानकारी प्राप्त की जाए।

(ii) ऑनलाइन बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्न के लिए 24X7 सीपीपी पोर्टल हेल्प डेस्क को अग्रेषित कर सकते है। हेल्प डेस्क के लिए संपर्क नं .1800 3070 2232 है। बोलीदाता +91-7878007972 एवं +91-7878007973 से भी मदद ले सकते हैं।